

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक प.16(43)आरपीजी/लोसेगाअ/2018/पार्ट

जयपुर दिनांक 21/11/2020

आदेश

निदेशक लोक सेवाएं, जयपुर के अधीनस्थ सहायक निदेशक, लोक सेवाओं के निम्नांकित कार्यालयों के उपयोग हेतु 7 जिला स्तरीय किराये के वाहन 28500/- रु. प्रतिमाह 2000 कि.मी. की श्रेणी में दिनांक 01.03.2020 से 28.02.2021 अथवा पद भरे रहने, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये हायर करने की सहमति प्रदान की जाती है:-

1. सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, हनुमानगढ़
2. सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, जोधपुर
3. सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, जयपुर
4. सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, उदयपुर
5. सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, बीकानेर
6. सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, बाड़मेर
7. सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, सीकर

वाहन हायर करने से पूर्व विभाग वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2(4) FD/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 एवं दिनांक 28.02.2019 में अंकित शर्तों/दिशा-निर्देशों/RTTP Act/Rules/निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति आई.डी. संख्या 102000573 दिनांक 07.02.2020 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग।
3. संबंधित जिला कलक्टर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, जयपुर।
5. निदेशक लोक सेवाएं, जयपुर।
6. संबंधित सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, मार्फत जिला कलक्टर।
7. रक्षित पत्रावली।

13/11/20
सहायक शासन सचिव